संख्या-01 /2023/ 59 /कनिप्र/26-3-2023-13(163)/91

प्रेषक,

सुभाष राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. संबंधित जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 17 जनवरी,2023
समाज कल्याण विभाग

विषय: अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु जनपदवार भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण एवं कार्यदायी संस्थाओं के चयन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अनुसूचित जाति सब प्लान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता(एस.सी.ए. टू एस.सी.एस.पी.) योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-09/2021/59/क.नि.प्र./26-3-2021-13(163)/91 दिनांक 24 फरवरी,2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 15000 भौतिक लक्ष्यों की जनपदवार फांट एवं कार्यदायी संस्थाओं का चयन संबंधी आदेश निर्गत किया गया था।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-2022 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अद्यतन एस.सी.ए. टू एस.सी.एस.पी. योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति के कारण शासन द्वारा प्रश्नगत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित 15000 भौतिक लक्ष्यों की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनपदवार फांट एवं कार्यदायी संस्थाओं का चयन संबंधी संदर्भित शासनादेश संख्या-09/ 2021/ 59/क.नि.प्र./26-3-2021-13(163)/91 दिनांक 24 फरवरी,2021 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

सुभाष राम
अनु सचिव।

पृ0संख्या-01/2023/59/(1)/क.नि.प्र./26-3-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. संबंधित समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास),उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 लघु उद्यमोग निगम मुरादाबाद/इलाहाबाद।
5. अध्यक्ष ग्रामोद्योग विकास संस्थान सी-1/3/418 विशाल खण्ड-3 गोमती नगर लखनऊ।
6. सचिव, एकीकृत सहकारी विकास संघ लि0, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुभाष राम
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।